–: कार्यालय :–

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल।

Email –dfo-latehar@gov.in
Mobile No. – 8987790240
Pin Code - 829206

पत्रांक 1101 / दिनांक 02/08/2021

सेवा में,

श्री एस. मुरलीधरन,
सहायक महाप्रबंधक,
पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि0,
ए–360 ममता भवन, रोड नं0–4B अशोकनगर,
रॉची–834002

विषय :– वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् वनभूमि अपयोजन प्रस्तावों के ऑनलाईन प्रसंस्करण के संबंध में सामान्य दिशा–निर्देश।

प्रसंग :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रॉची का पत्रांक 830 दिनांक 19.07.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् प्राप्त होने वाले प्रस्तावों के अग्रसारण के क्रम में Parivesh Portal पर ऑनलाईन देखे जाने पर यह पाया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भरे जाने वाला Form-A, Part-I में प्रयोक्ता अभिकरण का नाम, पदनाम एवं तिथियुक्त हस्ताक्षर रहता है, जिसे Online Upload नही किया जा रहा है, साथ ही Stage-I की स्वीकृति में लगाये गये सभी शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन अनुलग्नको सहित सक्षम प्राधिकार द्वारा हस्ताक्षरित करने के उपरांत PDF File बनाकर Upload किया जाना आवश्यक है। अधूरा Online प्रस्ताव समर्पित करने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रस्ताव के निष्पादन में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है।

अनुरोध है कि आपके द्वारा भरे जाने वाले Form-A, Part-I जिनपर प्रयोक्ता अभिकरण का नाम, पदनाम एवं तिथियुक्त हस्ताक्षर अंकित रहता है को Parivesh Portal पर Additional document के रूप में Online Upload किया जाय। इसके अतिरिक्त निम्नांकित निर्देशों का अनुपालन किया जाय :–

01. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित Land Schedule जिसे संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाता है, कि हस्ताक्षरित प्रति Additional documents के रूप में ऑनलाईन अपलोड किया जाय। Transmission Line से संबंधित निर्माणार्थ प्रस्तावों में Details of Area Calculation i.e; length of TL in forest area x RoW of the TL के आधार पर गणना कर Land schedule तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

02. वनाधिकार अधिनियम, 2006 के तहत् निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति Additional Doucments के रूप में Online Upload की जाय।

–: कार्यालय :–
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल।
Email –dfo-latehar@gov.in
Mobile No. – 8987790240
Pin Code - 829206

03. Payment of Compensatory levies such as CA, NPV, Addl. NPV के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित किये जाने वाले वचनबद्धता प्रमाण–पत्र को Additional Doucments के रूप में Online Upload किया जाय।

04. Transmission Line से संबंधित निर्माणार्थ प्रस्तावों के साथ समर्पित Joint Tree enumeration list में कुल enumerated प्रजातिवार वृक्षों की संख्या तथा उनमें से कितने वृक्षों का पातन अनिवार्य रूप से किया जाना है, की संख्या प्रतिवेदित होना आवश्यक है। इससे संबंधित गणना सूची की सत्यापित प्रति Additional Doucments के रूप में Online Upload किया जाय।

विश्वासभाजन,

02.08.21

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
लातेहार वन प्रमण्डल।